(2022/219)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्रार्थी

नीलोफर पत्नि गुफ्फार अलीजी जाति मुसलमान
निवासी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं0 /2022 GCMS NO. 2022/

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.06.2022	प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैरियत भूमिधारी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व अप्रार्थी पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का अनाधिकृत रूप से अकृषि प्रयोजन वाणिज्यिक (होटल रिसोंट) के उपयोग में लिये जाने की की चेष्टा की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा ग्राम बेडा चक प्रथम तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 35/3 रकबा 1.05 हैक्टर किस्म बारानी दोयम का अनाधिकृत रूप से अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग/उपयोग करने से बेदखली का निवेदन किया। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण राजस्व विविध में पंजिबद्ध किया जावे। इस सबंध में अप्रार्थी खातेदार द्वारा अपनी कृषि भूमि को The Rajasthan Micro, Small & Medium Enterprise (Facillitation of Establishment and Operation) Act, 2019 के तहत रूपान्तारण करवाये जाने बाबत् की जा रही कार्यवाही के साक्ष्य स्वरूप ऑन लाईन प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2022 की प्रति एवं इस सबंध में राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग द्वारा जारी एकनोलेजमेन्ट सर्टिफिकेट की प्रति पेश की। सार्टिफिकेट की शर्त–02 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार नियमों के तहत संपरिवर्तन की कार्यवाही पुर्ण होने तक किसी प्रकार की कार्यवाही को किये जाने बाबत् प्रतिबंधित करते हुये आवेदक को अपनी गतिविधियॉं नियमो के अध्यधीन रहते हुये करने बाबत् छूट दी गई है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में The Rajasthan Micro, Small & Medium Enterprise (Facillitation of Establishment and Operation) Act, 2019 के तहत अप्रार्थी द्वारा ऑन लाईन आवेदन कर देने एवं जारी नियमो के तहत आवेदक अप्रार्थी को छूट प्रदान कर देने से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं है। लिहाजा प्रार्थना पत्र भूमिधारी तहसीलदार, बाली खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner